मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई, 2007 (श्रावण 9, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री सत्यदेव कटारे, रामनिवास रावत, अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में पदस्थ तहसीलदार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रामनिवास रावत, सज्जन सिंह वर्मा, बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में कृषकों को गन्ने का भुगतान न होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री ध्यानेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर के मुरार स्थित दीनदयाल नगर में सड़कों की जर्जर हालत होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री आरिफ अकील, गिरिजाशंकर शर्मा,सदस्य, होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में तनाव व्याप्त होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री दिलीप सिंह परिहार, रामलखन शर्मा, सदस्य, नीमच में विस्थापित सिंधी परिवारों की भूमि को किसी अन्य के नाम आवंटित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री सुनील नायक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में तालाब सूखने से मछली उत्पादन प्रभावित होने की ओर राज्यमंत्री मछली पालन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री अंतर सिंह दरबार, रामनिवास रावत, सदस्य, इंदौर कृषि उपज मण्डी द्वारा लहसुन की फसल पर आढ़त की अवैध वसूली किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ओरछा से पृथ्वीपुर सड़क मार्ग की जर्जर हालत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सभापति, प्राक्कलन समिति का एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(2) श्री दीवान सिंह पटेल, सभापति, याचिका समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन एवं चौदहवां (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

4. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री कैलाश चावला, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"कुप्रबन्धन के कारण विद्युत उत्पादन कम एवं व्यय अधिक होने विषयक विशेष जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अर्जुन पलिया, सदस्य, होशंगाबाद जिले के -

(क) ग्राम ढुंठा दहलवाड़ा से नयागांव तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम तरौन कला के माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) नगर पालिका पिपरिया की माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(घ) ग्राम गाडरवाड़ा खुर्द तथा इमलिया के बीच ओले नदी पर रपटा का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम रामपुर की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के -

(क) ग्राम कृष्णगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,
(ख) ग्राम विसानी के उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,
(ग) ग्राम रैपुरा के कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम कल्दा के उप स्वास्थ्य केन्द्र का उन्नयन किये जाने,
(ङ) ग्राम सुनवानी कला के उप.स्वा. केन्द्र का उन्नयन किये जाने,
(च) ग्राम करही के माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(छ) ग्राम मुराछ के माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ज) ग्राम हरदुआ खम्हरिया के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
(झ) ग्राम श्यामगिरि में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
(ञ) ग्राम शाहनगर के कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम इकलौद के स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसूति गृह की स्थापना किये जाने,
(ख) तहसील मुख्यालय में नगर विजयपुर से गोहटा तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने, तथा
(ग) कूनो पालपुर अभ्यारण्य क्षेत्र के विस्थापित ग्रामों में आंगन बाड़ी खोले जाने, एवं

(4) श्री ओमप्रकाश पुरोहित (वकील), सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम अमलावद, भालोट, राजाखेड़ी के मार्ग संगम पर हाई स्कूल खोले जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य

सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री, दिनांक 15 मार्च, 2007 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 (क्रमांक 2803) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 22 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 23 सन् 2007) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल विधेयक,
2 घन्टे 2007 (क्रमांक 20 सन् 2007) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे 30 मि. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 30 जुलाई, 2007